"मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना"

मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शहरी अधोसंरचना विकास

मध्यप्रदेश शासन

अनुक्रमणिका

1. पृष्ठभूमि 3
2. अवधारणा 3
3. योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य 4
4. योजना की अवधि 4
5. योजना का दायरा 4
6. रणनीति 4
7. संस्थागत ढांचा 4
8. अपेक्षित परिणाम 5

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

1. पृष्ठभूमि :

वर्तमान परिदृश्य में बढते शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों की अधोसंरचना व्यवस्था पर अत्याधिक दबाव पड़ रहा है। प्रदेश तथा देशभर में अधोसंरचनात्मक मांग की पूर्ति एक प्रमुख चुनौती बन कर उभर रही है। अधिकांश नगरीय निकाय अधोसंरचनात्मक प्रावधानों हेतु वित्तीय संसाधनों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' नगरों के सुनियोजित विकास हेतु आवश्यक अधोसंरचना के वित्तपोषण हेतु लक्षित है। अधोसंरचनात्मक कार्यो के अंतर्गत मुख्यतः सड़क तथा यातायात एवं नगरीय पुनरुद्धार हेतु राज्य शासन द्वारा अनुदान के रुप में वित्तपोषण किया जाएगा। जल प्रदाय, स्वच्छता जैसे घटकों का इस योजना में समावेश न करते हुए राज्य शासन की इस हेतु घोषित अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण किया जायेगा। ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत विभिन्न निकायों को नगर विकास योजना (CDP) तैयार करना आवश्यक होगा एवं नगर विकास योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर ही निकायों को विभिन्न कार्यो हेतु अनुदान दिया जायेगा।

> नगर विकास योजना :– नगर विकास योजना किसी भी शहर के भावी विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती है। सी.डी.पी., शहर की वर्तमान व्यवस्था को प्रस्तुत करती है तथा उस शहर की आवश्यकताओं का आंकलन भी करती है। यह समस्त कार्यवाही शहर के हितधारकों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण तथा आम नागरिकों से सतत् विचार विमर्श के उपरांत की जाती है। वर्तमान व्यवस्था तथा आवश्यकताओं के बीच की कमियों (Gap) को दूर करने के लिए क्या दिशा होनी चाहिए तथा इसकी पूर्ति के लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी, उसका प्रथम दृष्टया आकलन करती है। सी.डी.पी. इस आंकलित धन राशि को कैसे जुटाया जा सकता है, इसका भी अनुमान लगाती है। यह समस्त कार्यवाही अगले 25 वर्षो के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

भारत में नगर विकास योजना (CDP) तैयार करने का कार्य पहली बार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत किया गया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त नगरों को सुनियोजित कर विकास करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों, 91 नगरपालिकाओं तथा 5 नगर परिषदों (पवित्र शहर) के सीडीपी तैयार कराये जा चुके है तथा 5 नगर पालिकाओं एवं 245 नगर परिषदों की सी.डी.पी. वर्ष 2012–13 कि अंत तक पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रदेश के सभी नगरों में अधोसंरचना विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्रीजी द्वारा **" मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना"** प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

2. अवधारणा :

" मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना" प्रमुख रुप से प्रदेश के उन नगरीय क्षेत्रों हेतु लक्षित है जो विगत वर्षो से अधोसंरचना विकास की समस्या से जूझ रहे हैं अथवा ऐसे निकाय जिनमें अधोसंरचनात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन राशि की कमी के कारण लंबित है। योजना अंतर्गत म.प्र. शासन का यह प्रयास है कि प्रदेश के सभी नगरों को आवश्यक राशि उपलब्ध करा कर अधोसंरचनात्मक योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन किया जा सके।

2.1 उद्देश्य

'' मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

- मध्यप्रदेश के सभी शहरों में मानक अनुसार अधोसंरचना का प्रावधान करना।
- निजी जन भागीदारी/अभिनव योजनाओं द्वारा उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन।

2.2 लक्ष्य कथन

''सुन्दर एवं स्वच्छ शहर''

3. योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

- ✓ स्वीकार योग्य – नगर विकास योजना में चिन्हाकित अथवा स्थानीय अत्यावश्यक कार्य जैसे – सड़क तथा यातायात, नगरीय सौदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास (सामुदायिक भवन, छात्रावास, उद्यान), धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन संबंधित नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन (पेयजल तथा स्वच्छता संबंधित योजनाओं का क्रियान्यन मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना एवं एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम में किया जाएगा)।

4. योजना की अवधि

- ✓ प्रारंभिक तौर पर यह योजना 10 वर्षो के लिये प्रस्तावित है।

5. योजना का दायरा

- ✓ योजनान्तर्गत म.प्र. के सभी नगरीय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद्) शामिल रहेंगे।

6. रणनीति

6.1. कार्ययोजना

1. प्रथम चरण में संचालनालय द्वारा भारत की प्रतिष्ठित विशेषज्ञ फर्मस का चयन कर 10 नगर निगम, 91 नगरपालिकाएं एवं 5 ऐसी नगर पंचायते हैं जो पवित्र नगर भी है, के सी.डी.पी. तैयार कराये गये है। दूसरे चरण में प्रदेश की शेष 5 नगरपालिकाओं तथा 250 नगर परिषदों की सी.डी.पी. तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

2. खण्ड 3 में वर्णित सभी कार्यो के लिए वास्तविक सी.डी.पी. के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा डी.पी.आर. तैयार किये जायेगें। उनका परीक्षण सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के अनुसार किया जाकर स्वीकृति प्रदान की जायेगी। तत्पश्चात् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

   राज्य शासन द्वारा इन योजनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जायेगीः–

श्रेणी		निकाय संख्या	निकायों की संख्या	अधिकतम अनुदान राशि की पात्रता
नगर निगम	I	भोपाल एवं इन्दौर (जनसंख्या – 15 लाख से अधिक)	2	20 करोड़ प्रतिवर्ष
	II	जबलपुर एवं ग्वालियर (जनसंख्या 8 से 15 लाख के बीच)	2	10 करोड़ प्रतिवर्ष
	III	शेष 10 नगर निगम देवास, उज्जैन, खण्डवा, रतलाम, बुरहानपुर, कटनी, सागर, रीवा, सिंगरौली एवं सतना (जनसंख्या 1 से 8 लाख के बीच)	10	3 करोड़ प्रतिवर्ष
नगर पालिका	I	जनसंख्या 1 लाख से अधिक	18	2 करोड़ प्रतिवर्ष
	II	जनसंख्या 1 लाख से कम	82	1 करोड़ प्रतिवर्ष
नगर परिषद्		263	263	1 करोड़ प्रतिवर्ष
कुल योग			**377**	

   *12वीं पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त पात्रता अनुसार अनुदान दिया जायेगा।

3. (अ) योजना में वित्तीय संसाधनों हेतु नियोजित प्रक्रिया अपनाई जायेगी जिसमें कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत परियोजनाएँ तैयार की जायेंगी।

   (ब) यदि योजना आयोग (District Plan) अंतर्गत अनुदान दिया जाता है तो परियोजनाओं का अनुमोदन जिला योजना समिति से कराय जायेगा। योजना (District Plan) अंतर्गत

स्वीकृत योजनाओं का सतत् पर्यवेक्षण होने से कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस हेतु 7.2 में वर्णित समिति पर्यवेक्षण करेगी।

4. इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार कार्यक्रम के अनुरूप निकायों को सुधार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।
5. इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी।

6.2 आवश्यक शहरी सुधार कार्य/पात्रता

1. नगरों के चयन हेतु प्राथमिकता का आधार

अ– पीपीपी के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेंगी।

ब– प्राथमिकता में उन नगरों का चयन किया जायेगा जिनकी सम्पत्ति कर वसूली के कवरेज का न्यूनतम 50 प्रतिशत हो एवं सम्पत्ति कर वसूली न्यूनतम 60 प्रतिशत हो। इसके अतिरिक्त इन चयनित नगरों हेतु यह आवश्यक होगा कि ये नगर योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति उपरांत अगले 3 वर्षों में 85 प्रतिशत सम्पत्ति कर वसूली करें।

स– जिला मुख्यालय एवं धार्मिक महत्व के शहर/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर।

द– अन्य नगर।

6.3 सड़क एवं शहरी यातायात

सड़क एवं शहरी यातायात, नगरीस सौदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास सामुदायिक भवन, छात्रावास, उद्यान, धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन संबधित नवीन योजनाओं हेतु निम्नानुसार वित्तीय योगदान दिया जाना प्रस्तावित है।

श्रेणी	अनुदान	ऋण	ऋण का पुर्नभुगतान	
	राज्यांश	निकाय का अंशदान	राज्य शासन द्वारा	निकाय द्वारा
नगर निगम	30%	70%	75%	25%
नगर पालिका	30%	70%	75%	25%
नगर परिषद्	30%	70%	75%	25%

यदि सड़क एवं शहरी यातायात से संबंधित कार्यो को जनभागीदारी द्वारा किया जाता है तो जनभागीदारी से प्राप्त राशि को निकाय के अंशदान में शामिल माना जायेगा।

7 संस्थागत ढांचा

7.1 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति

माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें माननीय विभागीय मंत्रीजी के साथ अन्य विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। यह समिति नगरीय विकास को नियोजित रुप से बढ़ावा देने अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने तथा प्रचलित कार्यों का मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

1.	माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
3.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य सचिव
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
8.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य

7.2 जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति को, योजना के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित योजनाओं के अनुमोदन, विकास कार्यो के प्रगति की समीक्षा करने, मार्गदर्शन प्रदान करने, तथा दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। समिति के पास गैर–शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। गैर–शासकीय संगठनों का नामांकन अलग से जारी दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा। कलेक्टर, जिले में नगरीय विकास से संबंधित कार्यो के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा जो परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण भी हो सकता है।

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	स्थानीय नगरीय निकायों के आयुक्त/महापौर	सदस्य
3.	स्थानीय नगरीय निकायों के मुख्य नगर पलिका अधिकारी/अध्यक्ष	सदस्य
4.	गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	व्यावसायिक/व्यापारी/रहवासी संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य सचिव

<u>7.4 क्रियान्वयन संस्था</u>

''मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत विभिन्न शहरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा।

परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियिम 1956, म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के तथा इनके अंतर्गत बनें नियमों के अनुसार किया जावेगा।

8. अपेक्षित परिणाम

(a) नगरों का सुनियोजित विकास एवं पर्यावरणीय सुधार।